

मांग संख्या 19
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के कार्य योजना हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 511.512 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 5,11,51,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 02 एवं 03

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु अतिरिक्त राशि ₹ 3546.67 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 35,46,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।